Government that some influential persons are purchasing plots in the aforesaid area; and

(e) what action has been taken to prevent illegal sale/colonisation/construction and whether Government propose to put up a special picket to keep watch over the area?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) As reported by DDA, the title of 46 bighas 9 biswas of land bearing Khasra No. 166 of village Ladho Sarai is sub-judice in the High Court of Delhi.

(b) The prescribed land use of the land is "recreational".

(c) and (d) The Deputy Commissioner, Delhi has reported that unauthorised development and sale/purchase of the land is taking place.

(e) The DDA has issued a public notice warning the public that the sale/purchase of this piece of land is illegal till the matter is finalised by the Competent court. It is also keeping a watch on the area.

मसालों के लिए समर्थन-मूल्य

*260. **श्री कैलाश नारायण सारंग**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को लहसुन, धनिया और मिर्च आदि मसालों की फसलों के लिए उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर विचार करेगी, जैसाकि खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के संबंध में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) वर्ष 1993 में सामान्यतया: मसालों तथा विशेषकर लहसुन, धनिया और लाल मिर्च के थोक मूल्यों में समझ और अन्तराल की दृष्टि से उतार-चढ़ाव आया है जैसाकि व्यावहारिक रूप से सभी कृषि जिंसों के मामले में हुआ है। यह उतार-चढ़ाव मुख्यतया इन जिंसों की मांग और आपूर्ति, विदेशी उत्पादन तथा निर्यात में अंतर के कारण आया है। यद्यपि 1993 में लाल मिर्च के थोक मूल्य नरम रहे, तथापि लहसुन और धनिया के थोक मूल्य कुल मिलाकर 1992 के स्तर से अधिक रहे।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लाने के प्रश्न को कृषि लागत और मूल्य आयोग से परामर्श करते हुए लगातार समीक्षा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल की जाने वाली फसलों के बारे में निर्णय लेते समय स्थानिक उत्पादन वाली और देश में व्यापक रूप से उगायी जाने वाली फसलों, जल्द खराब होने वाली तथा जल्द खराब न होने वाली कृषि जिंसों और देश के कुल फसल उत्पादन में योगदान देने वाली फसलों में अन्तर करने का प्रयास किया जाता है। मसालों के मामले में, इनमें से कोई भी मानदण्ड उन्हें न्यूनतम समर्थन योजना में शामिल किए जाने के लिए उचित नहीं ठहराता। लेकिन, यदि मूल्य अलाभकारी स्तर तक गिर जाएं तो राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर मसालों को मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है।

Role of Animal in Agricultural Operation

2249. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that animal power plays a great role in the agricultural operations of the country;

(b) whether Government have assessed the importance of animal power in agricultural operation; if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that number of animals in the country is gradually coming down;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps being taken to check this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) On an average a pair of bullocks is capable to manage 3 hectares. On this basis, the crop area which can be managed by 40 million pairs of bullocks is 120 M hect., out of total sown area of 150 M hect. By 2000 AD the requirement may remain the same because of better breed and better health. So number is to be maintained at existing level.

(c) No, Sir. The Cattle population according to 1982 Census was 192.45 Million and it has increased to 199.45 million in 1987.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

दालों और मसालों का उत्पादन

2250. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान

दालों और मसालों का लगातार कम उत्पादन होने के कारण इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1990 के पश्चात् इन वस्तुओं के उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं । दलहन और मसालों के मूल्यों और उत्पादन से केवल सामान्य उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुआ है ।

(ख) दूसरी फसलों में एकड़ क्षेत्र अंतरित हो जाने के कारण मसालों के उत्पादन में मामूली कमी आई है । दलहनों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष उतार-चढ़ाव आया है ।

(ग) दलहन तथा मुख्य मसालों (लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, काली मिर्च, अदरक और हल्दी) का वर्षवार उत्पादन निम्नवत् है :--

वर्ष	उत्पादन मिलियन मीटरी टन में	
	दाल	मसाले
1989-90	12.86	1.96
1990-91	14.27	1.83
1991-92	12.06	1.68
1992-93	14.70 (अनन्तिम)	उपलब्ध नहीं

Appointment of Executives in National Cooperative Societies

@2251. SHRI SOM PAL :
SHRI SHANKAR DAYAL SINGH :
SHRI SARADA MOHANTY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Central Government has constituted a body of persons for preparing a list of persons eligible for appointment to the posts of Chief Executive and other managerial posts in national cooperative societies as required under Section 50(a) of Multi-state Cooperative Societies Act, 1984;

(b) whether rules for regulating the recruitment, remuneration, allowances and other service conditions of employees of national cooperative societies have been made as required by Section (b) of the said Act;

(c) if the answers to (a) and (b) above be in the affirmative whether the senior posts of Managing Director, Additional Managing Director, Chief Controller of Finance & Accounts, General Managers and Mangers of the NCCF have been filled according to the procedure;

(d) if not, what are the reasons therefor and what action is being taken against the NCCF for flouting these provisions; and

(e) if the prescribed body and rules under Section 50(a) and (b) have not been formed, what are the reasons therefor and who is responsible for the lapse alongwith the action being taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) Yes, Sir. Central Government have been constituting such body named as "National Cooperative Societies Selection Committee" in pursuance of s. 50(a) of Multi State Cooperative Societies Act, 1984 and rules framed thereunder, as and when required.

(b) No, Sir.

(c) As per the provisions of section 50(a) of Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 and rules framed thereunder, only post of Managing Director of NCCF is within the purview of the Committee referred to above. The action for the selection of M. D. NCCF was taken as per rules.

(d) Does not arise.

(e) Central Government have been constituting such Selection Committee in pursuance of section 50(a) and rules framed thereunder as and when required. However, looking to diversified activities and nature of functions of different National Cooperative Societies, framing of uniform service rules under section 50(b) was not found feasible. A decision has been taken to delete this provision.

@ Previously unstarred Question 1745, transferred from 9th August, 1993.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में "रामतिल" का उत्पादन

2252. **श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में "रामतिल" आदिवासी कृषकों की प्रमुख तिलसी फसल है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल कितने क्षेत्रफल में खेती की